संख्या–1743 /नौ-5 –2019

प्रेषक,

डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊ, दिनॉक 09 मई, 2019

विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम – 15 (भ)/रूल 15(X) का अनुपालन।

महोदय,

कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 1401/नौ–5–2019, दिनांक 18.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त जिलाधिकारी को इस आशय के निर्देश निर्गत किये गये है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम – 12 में वर्णित दायित्व के अनुरूप निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन की गहन समीक्षा मासिक रूप से जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम – 22 में वर्णित समयावधि की निर्धारित सीमा पूर्ण हो चुकी है तथा अधिकांश निकायों में अभी भी उपरोक्त अधिसूचित नियम के अनुरूप गुणवत्तापरक ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य भली–भांति सुनिश्चित नही हुआ है एवं इस विषय में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा उपरोक्त को गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश निर्गत किये गये है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी का ध्यानाकर्षण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम – 15 (भ)/रूल 15(X) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

नियम 15 भ (हिन्दी)	Rules 15 X (English Transalation)
वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ–साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिये आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आबंटित की जाएं;	***make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste managenment services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules;***

उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुरूप यह आवश्यक है कि निकाय अपने उपलब्ध बजट में से, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में निकायों हेतु वर्णित दायित्वों का निर्वहन पूर्ण करने के पश्चात ही, किसी अन्य प्रकार के कार्य पर धनराशि व्यय करेंगे। यह भी स्पष्ट करना है कि बजट का तात्पर्य निकाय को समस्त मदों यथा राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, निकाय को अपने स्रोतों से हुए आय एवं अन्य किसी प्रकार की आय को सम्मिलित करते हुए **निकाय की कुल आय से है।** कृपया आप इस विषय में उपरोक्त नियम का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित करायें, अन्यथा निकाय द्वारा अपने बजट से, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निर्धारित दायित्वों के निवर्हन किये जाने में यदि कमी

रहती है और निकाय द्वारा अपने बजट का उपयोग किसी अन्य प्रकार की मदों में किया जाता है तो उक्त को, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 का भली–भांति अनुपालन न किये जाने विषयक कृत्य (Offence) मानते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं धारा 17 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही संबंधित अधिकारी/निकाय के विरूद्ध की जा सकती है।

भवदीय,

(डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
2– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
3– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह) 9.5.19
प्रमुख सचिव।